रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102024-258171
CG-DL-E-23102024-258171

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 21, 2024/आश्विन 29, 1946
No. 298] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 21, 2024/ASVINA 29, 1946

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर 2024

विषय: भारत में जीवित समुद्री शैवाल के आयात के लिए दिशानिर्देश

फा. सं. जे -1503529/5/2024-डीओएफ़ (ई-24345).—चूँकि, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत में मात्स्यिकी और जल कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नोडल विभाग है; और हितधारकों के परामर्श से भारत में जीवित समुद्री शैवाल के आयात के लिए दिशानिर्देश विकसित करता है।

2. अब, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय एतदद्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देशों को अधिसूचित करता है जिसका नाम है - 'भारत में जीवित समुद्री शैवाल के आयात के लिए दिशानिर्देश'।

नीतू प्रसाद, संयुक्त सचिव

1. प्रस्तावना

1.1 खाद्य एवं कृषि संगठन (2022) के अनुसार समुद्री शैवाल का वैश्विक उत्पादन 35 मिलियन टन (गीला वजन) था, जिसकी कीमत लगभग 16.5 बिलियन अमरीकी डॉलर थी । कुल उत्पादन का लगभग 94% योगदान 8 समुद्री शैवाल प्रजातियों से प्राप्त हुआ था, अर्थात, *लैमिनेरिया जैपोनिका, यूचेमा एसपीपी., ग्रेसिलेरिया एसपीपी., अंडारिया पिन्नाटिफिडा, पोरफाइरा एसपीपी., कप्पाफाइकस अल्वारेज़ी, सार्गासिम फ्यूसीफॉर्म* और *यूचेमा डेंटिकुलटम* । भारतीय

कृषि अनुसंधान परिषद -केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-सीएमएफआरआई) के अनुसार, भारत में प्राकृति रूप से मिलने वाले समुद्री शैवाल की मात्रा 0.03 मिलियन टन (2021) थी । सीएमएफआरआई के हालिया अनुमान के अनुसार, भारत में प्रति वर्ष लगभग 9.7 मिलियन टन समुद्री शैवाल उत्पादन की क्षमता है जबकि वर्तमान में केवल 34 हजार टन समुद्री शैवाल ही उत्पादित होता है । समुद्री शैवाल के प्रमुख औद्योगिक अनुप्रयोग प्रयोगशालाओं, फार्मास्यूटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधन, कार्डबोर्ड, कागज, पेंट और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होने वाले अगर, अगारोज़ और कैरेजीनन के स्रोत के रूप में हैं। वर्तमान में, कच्चे माल की कम आपूर्ति के कारण समुद्री शैवाल आधारित उद्योग अपनी निर्धारित क्षमता तक कार्य नहीं कर रहे हैं।

1.2 भारत में लगभग 844 समुद्री शैवाल प्रजातियों की समृद्ध विविधता है, जिनमें से लाल शैवाल *गेलिडिएला एसेरोसा*, *ग्रेसिलेरिया एड्युलिस*, *जी. क्रैसा*, *जी. फोलीफेरा* और *जी. वेरुकोसा* की खेती अगर बनाने और भूरे शैवाल यानि *सारगासम* एसपीपी, *टर्बिनेरिया* एसपीपी और *सिस्टोसेरा ट्रिनोडिस* की खेती के लिए की जाती है जो एल्गिनेट्स और तरल समुद्री शैवाल उर्वरक के उत्पादन में उपयोग की जाती है । समुद्री शैवाल की खेती अत्यधिक आय देने वाली गतिविधि है जिसमें सरल, कम लागत, कम रखरखाव वाली तकनीक शामिल है, साथ ही इसका उगकर तैयार होने का समयावधि चक्र (ग्रो आउट साईकल) भी कम होता है ।

1.3 भारत सरकार की प्रमुख योजना *प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना* (पीएमएमएसवाई) का उद्देश्य समुद्री शैवाल क्षेत्र में क्रांति लाना है तथा इस योजना का लक्ष्य 2025 तक देश में समुद्री शैवाल उत्पादन को 1.12 मिलियन टन से अधिक बढ़ाना है । खेती की गतिविधियों के लिए, हाल ही में आईसीएआर-सीएमएफआरआई ने भारतीय तट के किनारे समुद्री पौधों और शैवाल की खेती के लिए 342 संभावित स्थलों को जियोटैग की है । हालाँकि, भारतीय समुद्री शैवाल उत्पादन मुख्य रूप से *कप्पाफिकस अल्वारेज़ी* और कुछ अन्य देशी किस्मों की खेती पर निर्भर है। *के. अल्वारेज़ी* पर अत्यधिक निर्भरता है, यह तेजी से बढ़ने की अपनी शक्ति खो रही है और पिछले कुछ वर्षों में रोग-ग्रस्त हो गई है। इस स्थिति के कारण उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए समुद्री शैवाल की नई किस्मों और उपभेदों के आयात की आवश्यकता है।

1.4 वर्तमान में, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफ़टी) द्वारा भारत के कृषि उत्पादों के लिए तैयार किए गए आयात-निर्यात दिशा-निर्देशों में जीवित समुद्री शैवाल सामग्री शामिल नहीं है । भारत में कृषि उत्पादों के आयात को विनियमित करने के उद्देश्य से बनाए गए 'विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम, 1914' और 'पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश 2003 ' के अंतर्गत पादप संगरोध विनियम स्थापित किए गए हैं । मौजूदा पादप संगरोध आदेश-2003 अनुसूची VII के तहत उपभोग के लिए सूखे रूप में 'समुद्री शैवाल - *चोंड्रस* एसपीपी. / *एक्लोनिया मैक्सिमा* / *यूचेमा* एसपीपी. / *गेलिडियम* एसपीपी. / *गेलिडिएला* एसपीपी. / *ग्रेसिलेरिया एसपीपी.* / कप्पाफाइकस एसपीपी / *पिट्रेक्लोडिया* एसपीपी.' के आयात को विनियमित करता है।

1.5 ऐसे कई कारक हैं जिनके कारण स्थलीय पौधों के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों की तुलना में समुद्री शैवाल के लिए अलग संगरोध और आयात दिशानिर्देशों की आवश्यकता है।

i. *समुद्री शैवाल की अनूठी विशेषताएँ*: समुद्री शैवाल में विशिष्टताएं होती हैं जो उन्हें स्थलीय पौधों से पृथक करती हैं। समुद्री शैवाल पानी में डूबे रहते हैं और विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के संपर्क में आते हैं, जैसे कि अलग-अलग लवणता स्तर, पानी की धाराएँ और तापमान में उतार-चढ़ाव।

ii. *जैव सुरक्षा जोखिम*: समुद्री शैवाल विभिन्न बीमारियों, कीटों और रोगजनकों को आश्रय दे सकते हैं जो समुद्री वातावरण में तेजी से फैल सकते हैं। ये जैव सुरक्षा संबंधी खतरे प्राकृतिक रूप से होने वाले समुद्री शैवाल आबादी और अन्य जल कृषि प्रचालनों के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं ।

iii. *जैविक कारक:* प्रजनन रणनीतियों और आनुवंशिकी में अंतर नए वातावरण में समुद्री शैवाल के प्रसार, स्थापना और स्थायित्व की क्षमता को प्रभावित कर सकता है ।

iv. *विनियामक और नीतिगत कारक:* फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया और तंजानिया जैसे विभिन्न देशों में समुद्री शैवाल और स्थलीय पौधों के आयात, निर्यात और रिलीज के लिए विशिष्ट विनियम और नीतियां हैं । अत:, विभिन्न क्षेत्रों में बीमारियों और कीटों के फैलने के जोखिम को कम करने के लिए समुद्री शैवाल के लिए विशिष्ट संगरोध दिशानिर्देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री शैवाल की आवा जाही को विनियमित करने में सहायता मिल सकती है ।

1.6 संक्षेप में, समुद्री शैवाल और स्थलीय पौधों से जुड़े विशिष्ट पारिस्थितिक, पर्यावरणीय, जैविक, आनुवंशिक, विनियामक और नीतिगत कारक भिन्न हैं अत: अलग-अलग संगरोध दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है । समुद्री शैवाल के

प्रवेश से जुड़े जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और इस मूल्यवान समुद्री संसाधन के जिम्मेदार प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए इन दिशानिर्देशों की आवश्यकता है।

2. परिभाषाएं

2.1 प्राधिकृत अधिकारी का अर्थ है समुद्री शैवालों के स्वास्थ्य/संगरोध/पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति ।

2.2 जैव सुरक्षा का अर्थ है मानव, पशु (जलीय सहित), पौधे के जीवन और स्वास्थ्य तथा पर्यावरण से संबंधित जोखिमों के विश्लेषण और प्रबंधन के लिए एक रणनीतिक और एकीकृत दृष्टिकोण

2.3 माल (जिसे "शिपमेंट" भी कहा जाता है) - फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र और/या आयात परमिट में वर्णित जीवित समुद्री शैवाल सामग्री का एक समूह/पैकेज।

2.4 सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य जलीय पादप जर्मप्लाज्म स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी से है, जिसे मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

2.5 निर्यातक देश से तात्पर्य ऐसे देश से है जहां से जीवित समुद्री शैवाल सामग्री किसी दूसरे देश में गंतव्य स्थान पर भेजी जाती है।

2.6 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ है जीवित समुद्री शैवाल सामग्री और जैविक उत्पादों के विभिन्न रूपों का आयात, निर्यात या पारगमन।

2.7 आयात का अर्थ है भारत गणराज्य के किसी भी भाग या स्थान में भारत के बाहर के किसी स्थान से समुद्र, भूमि, वायु या किसी सीमा शुल्क सीमा पार से किसी भी प्रकार की समुद्री शैवाल सामग्री और अन्य विनियमित वस्तु लाना।

2.8 आयात परमिट का अर्थ है एक आधिकारिक दस्तावेज जो निर्दिष्ट फाइटोसैनिटरी आवश्यकताओं के अनुसार किसी कन्साईनमेंट के आयात को अधिकृत करता है।

2.9 आयातक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति/कंपनी/सरकारी एजेंसी से है जो देश के बाहर से विभिन्न प्रकार की जीवित समुद्री शैवाल सामग्री का आयात करता है।

3.0 आक्रामक प्रजातियों से तात्पर्य गैर-देशी प्रजातियों से है जो आर्थिक, पर्यावरणीय या पारिस्थितिकी रूप से उन आवासों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं जहां वे घर कर लेती हैं ।

3.1 जीवित समुद्री शैवाल सामग्री से तात्पर्य किसी भी जीवित समुद्री शैवाल से है जिसे वाणिज्यिक संवर्धन प्रयोजनों के लिए प्राकृतिक या प्रयोगशाला स्थितियों के तहत आनुवंशिक रूप से उन्नत किया गया हो।

3.2 पीड़क का अर्थ है कोई भी जैविक कारक जो पौधों और पौधों के उत्पादों को कोई चोट या क्षति पहुंचा सकता है और इसमें कीट, माइट, घोंघे, स्लग, कृमि, नेमाटोड, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, वायरस, वाइरोइड और अणु का कोई भी रूप या अवस्था शामिल है और इसमें आनुवंशिक रूप से इंजीनियर या संशोधित जीव और खरपतवार भी शामिल हैं।

3.3 फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र का अर्थ है खाद्य एवं कृषि संगठन के अंतर्राष्ट्रीय पौध संरक्षण कन्वेंशन के तहत निर्धारित मॉडल प्रारूप में जारी किया गया प्रमाणपत्र जो मूल देश अथवा पुनः निर्यात करने वाले देश के अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया है ।

3.4 प्रवेश बिंदु का तात्पर्य मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी सी पोर्ट, हवाई अड्डे, या भूमि-सीमा चेक-पोस्ट या रेलवे स्टेशन, नदी के पोर्ट, विदेशी डाकघर, कूरियर टर्मिनल, कंटेनर फ्रेट स्टेशन या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो से है।

3.5 संगरोध का अर्थ है जीवित समुद्री शैवाल को अन्य जलीय जीवों/प्राकृतिक वातावरण के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में लाए बिना पृथक रखना, ताकि निर्दिष्ट अवधि तक उसका निरीक्षण किया जा सके और यदि उपयुक्त हो तो परीक्षण और उपचार किया जा सके, जिसमें बहिःस्राव जल (एफफ्लुएंट वाटर्स) का उचित उपचार भी शामिल है।

3.6 संगरोध अधिकारी का तात्पर्य तकनीकी रूप से सक्षम व्यक्ति से है, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार के जीवित समुद्री शैवाल सामग्री के आयात और निर्यात के संबंध में निरीक्षण करने और प्रमाणित करने के प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया है ।

3.7 संगरोध अवधि का अर्थ संगरोध की न्यूनतम अवधि है, जो आमतौर पर समुद्री शैवाल संगरोध दिशानिर्देशों या अन्य कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज़ (जैसे राष्ट्रीय या राज्य विनियम) में निर्दिष्ट किया गया है।

3.8 जोखिम विश्लेषण का अर्थ है खतरे की पहचान, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन और जोखिम संचार से बनी संपूर्ण प्रक्रिया।

3.9 समुद्री शैवाल का अर्थ समुद्री मैक्रो एलगे है जो प्रकाश संश्लेषक (फोटोसिंथेटिक) जलीय जीव हैं ।

4.0 समुद्री शैवाल जर्मप्लाज्म का अर्थ है संपूर्ण या आंशिक समुद्री शैवाल तथा उनके प्रसारक जिनमें बीज, वानस्पतिक भाग, ऊतक संवर्धन, कोशिका संवर्धन, जीन और डीएनए आधारित अनुक्रम शामिल हैं, जिन्हें किसी भण्डार में रखा जाता है या जंगली क्षेत्र से एकत्र किया जाता है, तथा जिनका उपयोग इसके सुधार के लिए आनुवंशिक अध्ययनों या प्रजनन कार्यक्रमों में किया जाता है।

4.1 शिपमेंट का अर्थ है परिवहन के लिए निर्धारित जलीय जीवों या उनके उत्पादों का समूह।

4.2 निगरानी का अर्थ है रोग नियंत्रण के लिए रोग का पता लगाने हेतु जलीय जीवों की दी गई आबादी की जांच की एक व्यवस्थित श्रृंखला, जिसमें आबादी के नमूनों का परीक्षण शामिल है।

4.3 अतिसंवेदनशील प्रजाति/जीव का तात्पर्य जलीय जीव/समुद्री शैवाल की ऐसी प्रजाति से है जिसमें संक्रमण प्राकृतिक रूप से हुआ है या इन प्रजाति/ जीवों को रोग पैदा करने वाले कारक के साथ प्रायोगिक तौर पर संपर्क में लाया गया है, उसी रूप में जैसे ये कारक प्राकृतिक मार्गों द्वारा प्रवेश करते हैं ।

3. आयात के लिए सामान्य शर्तें

3.1 यदि समुद्री शैवाल निम्नलिखित श्रेणियों में आता है तो समुद्री शैवाल की जीवित सामग्री के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी

i. समुद्री शैवाल को रोगजनकों का वेक्टर या वाहक माना जाता है या इसे लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (सीआईटीईएस) के तहत सूचीबद्ध किया गया है या इसे प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) की संकटग्रस्त सूची में या निर्यातक देश की संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है । हालाँकि, यदि निर्यातक देश का सक्षम प्राधिकारी इसे प्रमाणित करता है, तो इसे अनुमति दी जा सकती है।

ii. राष्ट्रीय कानून या अंतर्राष्ट्रीय संधियों/सम्मेलनों द्वारा आयात पर लगाए गए किसी अन्य प्रतिबंध के अंतर्गत आने वाली प्रजातियाँ ।

iii. भारत या भारत के समान पर्यावरणीय परिस्थितियों वाले अन्य देशों में हानिकारक प्रभाव प्रदर्शित करने वाली आक्रामक प्रजातियाँ।

3.2 मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार से वैध परमिट के बिना समुद्री शैवाल की जीवित सामग्री के आयात की अनुमति नहीं है।

3.3 पूर्व-आयात परमिट में निर्धारित फाइटोसैनिटरी शर्तों का अनुपालन किए बिना भारत में कोई भी समुद्री शैवाल आयात नहीं किया जाएगा।

3.4 आवेदक को उचित नोटिस देने के बाद तथा लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा परमिट जारी करने से इनकार किया जा सकता है या उसे रोका जा सकता है।

3.5 जारी किया गया आयात परमिट जारी होने की तारीख से छह महीने के लिए वैध होगा और अनुलग्नक-VI के अनुसार सूचीबद्ध बंदरगाह तक पहुंच के लिए और मल्टीपल पार्ट शिपमेंट के लिए वैध होगा, बशर्ते निर्यातक, आयातक और मूल देश पूरी खेप के लिए एक ही हो। आयात परमिट जारी करते समय तथ्यों या किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने पर उसे रद्द या वापस लिया जा सकता है।

3.6 जारी किया गया आयात परमिट हस्तांतरणीय नहीं होगा, ना ही उसमें संशोधन किया जा सकेगा लेकिन यदि प्रवेश बिन्दु में परिवर्तन हुआ है तो संशोधन लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों के अधीन किया जाएगा ।

3.7 समुद्री शैवाल या तो प्राकृतिक या प्रमाणित प्रयोगशालाओं के आनुवंशिक रूप से संशोधित उपभेदों से हो सकते हैं। आयात के लिए विचार किए जाने वाले समुद्री शैवाल प्रजातियों की सांकेतिक सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

3.8 इसमें एपिफाइट्स, कोई भी जैविक एजेंट नहीं होना चाहिए जो समुद्री शैवाल और समुद्री शैवाल उत्पादों को कोई नुकसान या क्षति पहुंचा सकता है और इसमें कीटों, माइट्स, घोंघे, स्लग, कृमि, नेमाटोड, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसेट्स, वायरस और वायरोइड्स का कोई भी रूप या चरण शामिल है, और इसमें आनुवंशिक रूप से इंजीनियर या संशोधित जीव और खरपतवार भी शामिल हैं । बीमारियों की सांकेतिक सूची अनुलग्नक-II में दी गई है।

3.9 जीवित समुद्री शैवाल के आयात का अनुरोध भारतीय जल में विदेशी जलीय प्रजातियों के प्रवेश संबंधी राष्ट्रीय समिति की मंजूरी के अधीन होगा।

3.10 समुद्री शैवाल की जीवित सामग्री के लिए निर्यातक देश से फाइटोसैनिटरी मंजूरी अनुबंध- III में दिए गए निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध होना आवश्यक है।

3.11 घरेलू बाजार या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आयातित समुद्री शैवाल की डायरेक्ट बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.12 जीवित समुद्री शैवाल सामग्री की सभी खेपों को भारत में केवल प्रवेश बंदरगाहों के माध्यम से आयात किया जाएगा जो प्लांट क्वारंटीन स्टेशन / एनिमल क्वारंटीन प्रमाणन और सेवाओं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जैसे चेन्नई, कोच्चि और अहमदाबाद या समय-समय पर मत्स्यपालन विभाग द्वारा अधिसूचित किए गए बंदरगाहों के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं ।

3.13 आगमन पर, प्रवेश के प्रथम बिंदु पर माल का निरीक्षण मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा मत्स्यपालन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण के लिए उपयुक्त नमूने लिए जाएंगे।

3.14 निरीक्षण और प्रयोगशाला परीक्षण, धूम्रीकरण, कीटाणुशोधन, सफल संगरोध अवधि के बाद, जैसा कि आवश्यक समझा जा सकता है, अनुलग्नक-VII के अनुसार खेती/उत्पादन/अनुसंधान के लिए संगरोध मंजूरी (क्वारंटीन क्लियरेंस) प्रदान की जाएगी अथवा यदि इस आदेश में निर्दिष्ट प्रतिबंधों और शर्तों का अनुपालन न किया गया हो तो ऐसी स्थिति में अनुलग्नक-VIII के अनुसार खेप के निर्वासन या विनाश का आदेश दिया जाएगा ।

3.15 जहां जीवित समुद्री शैवाल की खेप के संबंध में धूम्रीकरण, कीटाणुशोधन या कीटाणुनाश आवश्यक समझा जाता है, वहां आयातक को स्वयं और अपनी लागत पर किसी भी संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा अनुमोदित एजेंसी के माध्यम से खेप के धूम्रीकरण, कीटाणुशोधन या कीटाणुनाश की व्यवस्था करनी होगी।

3.16 न तो निर्यातक और न ही आयातक आयातित सामग्री पर किसी बौद्धिक संपदा या अन्य अधिकार का दावा करेंगे।

4. आवेदन का तरीका

4.1 जीवित विदेशी समुद्री शैवाल सामग्री का आयात करने का इरादा रखने वाले आयातक को अनुलग्नक-IV के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा, साथ ही समुद्री शैवाल का वैज्ञानिक और सामान्य नाम, समुद्री शैवाल के विभिन्न शरीर के अंगों सहित फोटोग्राफ जैसे विवरण भी देने होंगे। इनके बिना परमिट का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

4.2. आयात की अनुमति भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्यपालन विभाग में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव की जांच और भारतीय जल में विदेशी जलीय प्रजातियों को लाने पर राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर उचित विचार के बाद जारी की जाएगी । अनुमति की सूचना आवेदक को पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर दे दी जाएगी ।

4.3 जारी किया गया आयात परमिट अहस्तांतरणीय होगा तथा जारी होने की तिथि से छह माह तक वैध रहेगा।

4.4 जारीकर्ता प्राधिकारी अधिकतम तीन माह की अवधि के लिए एक बार पुनर्वैधीकरण पर विचार कर सकता है, बशर्ते कि वैधता विस्तार के लिए अनुरोध परमिट की समाप्ति से पहले जारीकर्ता प्राधिकारी को पर्याप्त औचित्य के साथ किया जाए।

4.5 समुद्री शैवाल की जीवित सामग्री के आयात के लिए केवल अनुलग्नक-VI के अनुसार निर्दिष्ट बंदरगाहों/हवाई अड्डों के माध्यम से ही अनुमति दी जाएगी।

5. आवेदन शुल्क

5.1 प्रति आवेदन 300/- रुपये का ऑनलाइन भुगतान भारतकोश को ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से किया जा सकता है और इसकी रसीद आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

6. पैकेजिंग और परिवहन

6.1 समुद्री शैवाल की जीवित सामग्री को ऐसे बैग में पैक किया जाना चाहिए जिसमें रिसाव न हो तथा उचित निरीक्षण और पहचान की सुविधा होनी चाहिए।

6.2 पैकेजिंग इस प्रकार होना है कि जिससे मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा विधिवत् प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आसानी से निरीक्षण किया जाना संभव हो सकेगा।

6.3 प्रत्येक बॉक्स या कार्टन की स्पष्ट रूप से पहचान होनी चाहिए, जिसमें समुद्री शैवाल की जीवित सामग्री का नाम और मात्रा और प्रत्येक बॉक्स/कार्टन की पहचान संख्या का उल्लेख हो। यदि परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार की परिरक्षक सामग्री का उपयोग किया गया है, तो पैकेजिंग सूची में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

6.4 माल के साथ प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न होने चाहिए, जिनमें फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र और प्रजातियों की तस्वीर, आयात परमिट की प्रति, संगरोध प्रमाणपत्र की प्रति (यदि लागू हो), चालान, उत्पत्ति प्रमाणपत्र, लदान बिल और निर्यातक देश के परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य दस्तावेज शामिल होने चाहिए।

7. समुद्री शैवाल संगरोध के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

(जहां आवश्यक हो, विस्तृत प्रक्रिया और/या अधिकृत संस्थानों को अधिसूचित किया जाएगा)

7.1 देश में आयातित जीवित समुद्री शैवाल की प्रत्येक प्रजाति/स्ट्रेन को मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट संगरोध सुविधा में संगरोध प्रक्रियाओं से गुजरना होगा।

7.2 संगरोध शुल्क, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार के परामर्श से संगरोध सुविधा द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

7.3 स्क्रीनिंग और परीक्षण की लागत आयातक द्वारा वहन की जाएगी। नमूनों का परीक्षण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों या भारत सरकार के पादप संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय/मत्स्यपालन विभाग द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में किया जाएगा।

7.4 हवाई अड्डे से माल की प्राप्ति और परिवहन

i. माल के आगमन पर, निर्यातक देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पूर्व-आयात परमिट और फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना चाहिए और आयातित प्रजातियों की संगरोध सुविधा में पुनः जांच की जानी चाहिए और नामित प्राधिकारी द्वारा संगरोध प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए।

ii. समुद्री शैवाल युक्त माल को जलीय पादप संगरोध अधिकारी या मत्स्य विभाग, भारत सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत किसी अधिकारी की उपस्थिति में मंजूरी दी जानी चाहिए जो माल की जिम्मेदारी संभालेगा। आयातक या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में अधिकृत अधिकारी द्वारा माल का सकल निरीक्षण, क्षति यदि कोई हो, दर्ज किया जाएगा।

iii. प्रवेश बंदरगाह से मंजूरी मिलने पर, माल को मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से एक सैनिटाइज़्ड ट्रक में अनुमोदित संगरोध सुविधा में तुरंत स्थानांतरित किया जाएगा। आयातित सामग्री का संगरोध आयातक द्वारा स्थापित और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित इन-हाउस संगरोध सुविधाओं या मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी सुविधा द्वारा किया जा सकता है। संगरोध सुविधा के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को अनुलग्नक-X में संलग्न किया गया है।

7.5 जलीय पादप संगरोध सुविधा में माल को अनुमति देना

i. केवल समुद्री शैवाल वाले बैग को ही संगरोध इकाई के अंदर ले जाया जाना चाहिए।

ii. आयातक फर्म/एजेंसी के प्रतिनिधि को समुद्री शैवाल की स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति होगी। प्रतिनिधि माल की स्थिति की जानकारी देगा।

iii. समुद्री शैवाल को छोड़कर, परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्रियों को जलीय पादप संगरोध सुविधा के अधिकारियों या इसी उद्देश्य के लिए नामित किसी अन्य सुविधा के कर्मचारियों द्वारा जला दिया जाएगा।

7.6 माल का निरीक्षण और नमूनाकरण

i. प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रत्येक प्रजाति/उपभेद/किस्म के समुद्री शैवाल से एक प्रतिनिधि नमूना लिया जाएगा।

ii. समुद्री शैवालों के विभिन्न प्रयोगशाला परीक्षण करने के लिए नमूनाकरण व्यवस्था

समुद्री शैवाल मात्रा (किलोग्राम)	प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रत्येक प्रजाति/स्ट्रेन/किस्म का नमूना लिया जाएगा
10 से कम	1% नमूना
11-100	2% नमूना
101-1000	2.5% सरल
1001 -10000	1% नमूना

iii. निरीक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि अपनाई गई निरीक्षण/नमूनाकरण प्रक्रियाएं संगरोध कीटों और/या विनियमित गैर-संगरोध कीटों का पता लगाने के लिए पर्याप्त हैं और भारत की फाइटोसैनिटरी आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

iv. प्रयोगशाला परीक्षण के लिए एकत्रित/अग्रेषित किए गए नमूने को किसी भी कीट के बाहर निकलने से रोकने के लिए उचित तरीके से पैक किया जाएगा, सील किया जाएगा और लेबल किया जाएगा। नमूना लेबल में विस्तृत जानकारी दी जाएगी जैसे, लॉट/बैच नंबर, खेप का नाम (प्रजाति/किस्म), नमूने का आकार, निरीक्षण का स्थान, निरीक्षण की तिथि, निरीक्षक का नाम/हस्ताक्षर

v. नमूनों का परीक्षण कीड़ों, कृमियों तथा कवक, बैक्टीरिया और वायरस के कारण होने वाले अन्य संक्रमणों के लिए किया जाना चाहिए।

vi. प्रयोगशाला विशेषज्ञ सभी परीक्षण करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट में किए गए परीक्षणों के प्रकार, जांच की गई समुद्री शैवाल की प्रजातियाँ/किस्में और संक्रमण/कीट के संक्रमण की डिग्री और देखे गए कीट की संगरोध स्थिति के साथ-साथ सिफारिशें, यदि कोई हों, का उल्लेख होना चाहिए और अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए।

vii. प्राधिकृत अधिकारी निरीक्षण/परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के तुरंत बाद संबंधित प्रयोगशाला विशेषज्ञ से सत्यापन करेगा।

viii. यदि कोई जोखिम पाया जाता है, तो माल को वापस भेजने/नष्ट करने की सिफारिश की जाएगी और आयातक या उसके एजेंट को अनुबंध-VII के अनुसार निर्धारित प्रारूप में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा।

ix. यदि कोई जोखिम नहीं पाया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी संगरोध प्रमाणपत्र जारी करेगा।

7.7 संगरोध (क्वारंटीन) सुविधा पर रखरखाव

i. समुद्री शैवाल संगरोध इकाई को समुद्री शैवाल की अन्य जलकृषि सुविधाओं से अलग रखा जाना चाहिए।

ii. विदेशी रोगाणुओं/कीटों से उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिए, जो आयातित समुद्री शैवालों के साथ जुड़े हो सकते हैं तथा स्थानीय समुद्री पर्यावरण में स्थानांतरित होने की संभावना रखते हैं, संगरोध प्रक्रिया को टैंक कल्चर प्रणाली में किया जाना चाहिए।

iii. टैंक प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले समुद्री जल को उपयुक्त जल निस्पंदन प्रणाली द्वारा 1 माइक्रोन छलनी के माध्यम से फ़िल्टर किया जाना चाहिए तथा UV प्रकाश से उपचारित किया जाना चाहिए।

iv. टैंक को साफ और कीटाणुरहित किया जाना चाहिए (कीटाणुनाशक के रूप में उचित सांद्रता वाले क्लोरीन घोल का उपयोग किया जा सकता है)।

v. संगरोध प्रक्रिया से पहले, समुद्री जल में अकार्बनिक पोषक तत्वों (जैसे, NH_4, NO_3, और PO_4), लवणता और तापमान की जांच की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये पैरामीटर समुद्री शैवाल कल्चर के लिए इष्टतम हैं (मान और सांद्रता प्रजातियों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं)।

vi. टैंक प्रणाली को पर्याप्त रूप से वातित किया जाना चाहिए, जो टैंक के आयतन पर निर्भर करता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए इष्टतम प्रकाश तीव्रता सुनिश्चित करने के लिए जाँच की जानी चाहिए (60 – 80 µmol फोटॉन $m^{-2} s^{-1}$)

vii. संगरोध सुविधा में प्रयुक्त उपकरण, जैसे स्क्रबिंग ब्रश, थर्मामीटर, फिल्टर आदि को उपयोग के बाद क्लोरीन में भिगोना होगा।

viii. होल्डिंग टैंकों को सप्ताह में कम से कम दो बार खाली और साफ किया जाना होगा ।

ix. समुद्री शैवाल को टैंक में रखने से पहले ताजे समुद्री जल से अच्छी तरह धोया जाना चाहिए ताकि उसमें से अवांछित सूक्ष्मजीवों को हटाया जा सके।

x. आयातित समुद्री शैवाल को अनुमोदित संगरोध सुविधा में दो सप्ताह (14 दिन) तक संगरोधित किया जाएगा।

xi. संगरोध सुविधा के प्रभारी को आयातित समुद्री शैवाल के रखरखाव के लिए इष्टतम जल गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी।

xii. इस प्रक्रिया के दौरान, रंग परिवर्तन के संकेतों, तंतुमय शैवाल (फिलमेन्ट एलगे) की उपस्थिति और उनके विकास के संदर्भ में पौधों की प्रतिदिन निगरानी की जानी चाहिए।

xiii. दैनिक आधार पर उपचार, निरीक्षण और नैदानिक असामान्यताओं (यदि कोई हो) का विवरण दर्ज करने के लिए एक लॉग बुक रखी जाएगी।

xiv. संगरोध से निकले पानी को अस्थायी रूप से रोककर रखना चाहिए और उसे निकालने से पहले हाइपोक्लोराइड घोल (> 20 पीपीएम सक्रिय क्लोरीन कम से कम 60 मिनट के लिए) या अन्य प्रभावी कीटाणुनाशक से उपचारित करना चाहिए। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां पानी को निष्कर्षण बिंदु के समान स्थान पर छोड़ा जाना है।

xv. वाहन के टायर (गेट पर टायर बाथ), पैर (पैर बाथ जिसमें हाइपोक्लोराइट घोल 50 पीपीएम सक्रिय क्लोरीन हो) और हाथ (आयोडीन-पीवीपी 20 पीपीएम और/या 70% अल्कोहल युक्त बोतलें) को कीटाणुरहित करने के लिए साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिनका उपयोग सुविधा में प्रवेश करने और बाहर निकलने पर किया जाना चाहिए।

xvi. अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा।

xvii. यदि स्टॉक में मृत्यु या संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखते तो स्टॉक को पॉलिथीन बैग में पैक करके आयातक को सौंप दिया जाएगा।

xviii. आयातक को क्वारंटाइन प्रमाणपत्र के साथ डिलीवरी चालान भी उपलब्ध कराया जाएगा।

8. क्वारंटाइन के बाद निरीक्षण

8.1 सक्षम प्राधिकारी को आयातकों की पालन सुविधा, खेतों, प्रयोगशालाओं का संगरोध के बाद निरीक्षण करने का अधिकार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप आयातित समुद्री शैवाल सामग्री का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिसके लिए उन्हें आयात किया गया है।

8.2 आयातक को आयात के बाद परिवहन, प्रसार, पालन, प्रयोगशाला प्रयोगों आदि पर तिमाही स्थिति रिपोर्ट मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार को अनुलग्नक-IX के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी।

9. दिशानिर्देशों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई

9.1 आयातक को राष्ट्र की जैव सुरक्षा, जैव खतरों और आर्थिक हितों को ध्यान में रखना चाहिए। आयातित समुद्री शैवाल की जीवित सामग्री को प्राकृतिक जल में छोड़ने से उत्पन्न होने वाली कोई भी जैव सुरक्षा और अन्य संबंधित खतरे पूरी तरह से आयातक/आयात करने वाले संगठन की जिम्मेदारी होगी और भारत सरकार के प्रासंगिक नियमों के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

9.2 यदि निरीक्षण के दौरान सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में यह बात आती है कि आयातक ने जानबूझकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया है/जानबूझकर गलत जानकारी दी है अथवा आयात की जाने वाली प्रजातियाँ और वास्तव में आयात की जाने वाली प्रजातियाँ एक नहीं हैं अथवा आयातित नमूनों में ऐसी प्रजातियाँ भी शामिल हैं जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है, तो आयात परमिट तत्काल रद्द कर दिया जाएगा और आयात किए गए सभी नमूनों को आयातक को कोई सूचना दिए बिना या उसकी अनुमति के बिना नष्ट कर दिया जाएगा।

9.3 आयातक को खेत/उत्पादन क्षेत्रों से समुद्री शैवाल के किसी भी आकस्मिक पलायन और जानबूझकर बाहर निकलने को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। समुद्री शैवाल के आकस्मिक पलायन/जानबूझकर बाहर निकलने की स्थिति में, मामले की सूचना सक्षम प्राधिकारी को दी जानी चाहिए।

अनुबंध- I

आयात के लिए विचारार्थ समुद्री शैवाल प्रजातियों/उपभेदों की सांकेतिक सूची

#	वैज्ञानिक नाम	वर्ग
1.	*युकेउमा एसपीपी*	*लाल समुद्री शैवाल*
2.	*युकेउमा डेंटिकुलैटम*	*लाल समुद्री शैवाल*
3.	*ग्रेसिलेरिया ड्यूरा*	*लाल समुद्री शैवाल*
4.	*ग्रेसिलेरिया डेबिलिस*	*लाल समुद्री शैवाल*
5.	*ग्रेसिलेरिया एसपीपी*	*लाल समुद्री शैवाल*
6.	*ग्रेसिलेरिया वेरुकोसा*	*लाल समुद्री शैवाल*
7.	*गेलिडियम अमानसी*	*लाल समुद्री शैवाल*
8.	*कप्पाफाइकस अल्वारेज़ी*	*लाल समुद्री शैवाल*
9.	*कोलेर्पा एसपीपी.*	*हरा समुद्री शैवाल*
10.	*एंटरोमोर्फा क्लैथ्रेटा*	*हरा समुद्री शैवाल*
11.	*मोनोस्ट्रोमा नाइटिडम*	*हरा समुद्री शैवाल*
12.	*सार्गासम फ्यूसीफॉर्म*	*भूरा समुद्री शैवाल*
13.	*कोडियम नाजुक*	*हरा समुद्री शैवाल*
14.	*लैमिनारिया जापोनिका*	*भूरा समुद्री शैवाल*
15.	*अंडारिया पिनाटिफिडा*	*भूरा समुद्री शैवाल*
16.	*पोर्फिरा एसपीपी*	*लाल समुद्री शैवाल*

**ये प्रजातियाँ सांकेतिक हैं और इनका वाणिज्यिक मूल्य है। सरकार की आवश्यकता के अनुसार मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा सूची का विस्तार किया जा सकता है। विभाग किसी विशिष्ट देश या भौगोलिक क्षेत्र से आयात ना किए जाने की सूची को भी नोटिफ़ाई कर सकता है।*

अनुबंध- II

समुद्री शैवालों में कीटों/रोगों की सांकेतिक सूची

1) रोट्ट्न थैलस सिंड्रोम
2) एपीफाइटिक फिलामेंटस एलगे
3) आईस – आईस रोग
4) पिटटिंग
5) सेड़ीमेंटेशन
6) रेड रोट रोग
7) टिप डिसकलरेशन
8) ओल्पिडिओप्सिस रोग

9) वाईट स्पॉट रोग

10) अनाकी रोग

11) डायटम फेल्ट

12) कयनोबैक्टीरिया फेल्ट

13) ग्रीन स्पॉट रोग

14) वाईट ब्लाईट रोग

15) हॉल रोट्टन रोग

16) ट्विस्टेड फ़्रोंड रोग

17) शॉट-होल रोग

18) स्पॉट-रोटिंग रोग

19) येल्लो होल रोग

20) स्पॉट डीके

21) ग्रीन डीके रोग

22) पिन-होल रोग

23) ब्राउन एंडोफाईटिक रोग

**बीमारियों की उपरोक्त सूची सांकेतिक है और निर्यातक, आयातक तथा निरीक्षण प्राधिकारी को यहां सूचीबद्ध बीमारियों/असामान्यताओं के अलावा किसी अन्य बीमारी/असामान्यता की जांच करनी चाहिए।*

अनुबंध - III

फाईटोसैनीटरी प्रमाण पत्र

सं :_____

पौध संरक्षण संगठन या निर्यातक देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित कोई अन्य प्राधिकारी **से**	संयुक्त सचिव, मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार / पौध संरक्षण संगठन (संगठनों)... **को**
माल का विवरण	
निर्यातक का नाम और पता	
प्राप्तकर्ता का नाम और पता	
पैकेजों की संख्या और विवरण	
उत्पत्ति का स्थान	
परिवहन का घोषित साधन	
भारत में प्रवेश का घोषित बिंदु	
उत्पाद का नाम और घोषित मात्रा	
प्रजाति का वैज्ञानिक नाम	
यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित समुद्री शैवाल सामग्री का उचित प्रक्रियाओं के अनुसार निरीक्षण किया गया है	

और उन्हें संगरोध कीटों से मुक्त माना जाता है और व्यावहारिक रूप से हानिकारक कीटों से मुक्त माना जाता है और उन्हें आयात करने वाले देश में वर्तमान फाइटोसैनिटरी नियमों के अनुरूप माना जाता है।			
कीटाणुशोधन और/या कीटाणुनाशन उपचार का विवरण			
तारीख		तापमान	
अवधि		रासायनिक (सक्रिय घटक)	
इलाज		सांद्रता (कोन्सेंट्रेशन)	
अतिरिक्त जानकारी			
अतिरिक्त घोषणाएँ:			
जारी करने का स्थान : जारी करने की तिथि:	संगठन की मुहर	प्राधिकृत अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर	

इस प्रमाणपत्र के संबंध में कोई भी वित्तीय दायित्व ..... (पौधा संरक्षण संगठन का नाम/निर्यात करने वाले देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी) ..... या इसके किसी भी अधिकारी या प्रतिनिधि * से जुड़ा नहीं होगा। *वैकल्पिक खंड

अनुबंध - IV

भारत में जीवित समुद्री शैवाल आयात करने की अनुमति के लिए आवेदन

संयुक्त सचिव, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार (जारी करने वाला प्राधिकरण) **को** ,				
मैं/हम भारत में जीवित समुद्री शैवाल के आयात के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित जीवित समुद्री शैवाल/समुद्री शैवाल सामग्री के आयात की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं।				
1.आयातकर्ता का नाम और पता		2.निर्यातक का नाम और पता		
3.मूल देश / पुनः निर्यात		4.विदेशी शिपमेंट बंदरगाह		
5. शिपमेंट के आगमन की अनुमानित तिथि				
6. भारत में प्रवेश का स्थान		7. परिवहन के साधन		
8. समुद्री शैवाल का विवरण (प्रजाति का नाम / सामान्य नाम)	9.किस्म / हाईब्रिड	10. मात्रा (वजन/संख्या)	11. पैकेजों की संख्या	12.पैकिंग का तरीका
13.क्या ट्रांसजेनिक है या नहीं?				
14.प्रवेश के बाद क्वारंटाइन सुविधा के स्थान का नाम, जहां लागू हो?				
15.आयात का उद्देश्य				
16. सटीक कल्चर /प्रसार/अनुसंधान स्थान				
17. दस्तावेजों का विवरण, यदि कोई हो संलग्न				

घोषणा

मैं/हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सभी प्रकार से सही और पूर्ण है तथा मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा विधिवत् प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त माल के निरीक्षण, उपचार या प्रवेश के बाद संगरोध निरीक्षण के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने तथा उसके द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

तारीख: **मुहर** (आयातकर्ता या उसके अधिकृत एजेंट का नाम, हस्ताक्षर और मुहर)

स्थान :

आवश्यक संलग्नक : आयात की जाने वाली समुद्री शैवाल प्रजातियों के फोटोग्राफ (फोटोग्राफ उस समुद्री शैवाल के नमूने के होने चाहिए जहां से आयात प्रस्तावित है, प्रकाशित स्रोतों से नहीं)।

प्रोफार्मा भरने के निर्देश : कोई भी कॉलम/पंक्ति खाली नहीं छोड़ी जानी चाहिए। यदि जानकारी उपलब्ध नहीं है तो लागू नहीं और यदि आइटम प्रासंगिक नहीं है तो लागू नहीं

अनुबंध - V

(प्रतीक)

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

भारत में जीवित समुद्री शैवाल के आयात की अनुमति

परमिट संख्या._____ जारी करने की तिथि_____

_____ तक वैध

भारत में जीवित समुद्री शैवाल के आयात के दिशानिर्देशों के अनुसार, मैं नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित जीवित समुद्री शैवाल / समुद्री शैवाल सामग्री के आयात की अनुमति देता हूं:

1.आयातकर्ता का नाम और पता		2.निर्यातक का नाम और पता		
3.मूल देश / पुनः निर्यात		4. भारत में प्रवेश का स्थान		
5. समुद्री शैवाल का विवरण (प्रजाति का नाम/ सामान्य नाम)	6.किस्म / हाईब्रिड	7. मात्रा (वजन/संख्या)	8. पैकेजों की संख्या	9. पैकिंग का तरीका

10.उपर्युक्त अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है: -

1) समुद्री शैवाल सामग्री की खेप खरपतवार प्रजातियों और रोगों से मुक्त होगी

2) (i) खेप के साथ मूल/पुनर्निर्यात देश के एक अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र/ पुन: निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र/पुन निर्यात जैसा भी मामला हो, जिसमें निम्न से मुक्ति के लिए एक अतिरिक्त घोषणा संलग्न की जाएगी ।

क) _____

ख)_____

ग)_____

(या) उपर्युक्त विनिर्दिष्ट कीट उत्पत्ति के देश या राज्य में नहीं पाए जाते हैं।

2) (ii) प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित समुद्री शैवाल सामग्री मदर क्रॉप /स्टॉक से प्राप्त की गई है जिसका

निरीक्षण उत्पत्ति के देश में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा नियमित अंतराल पर किया गया था और उसे _____ से मुक्त पाया गया था।

3) यह माल मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार के द्वारा निर्दिष्ट अनुमोदित प्रवेशोत्तर संगरोध सुविधा में (दिन/माह) _____ की अवधि के लिए उगाया जाएगा।

4) परमिट हस्तांतरणीय नहीं है और जारी होने की तारीख से छह महीने के लिए वैध होगा और कई बंदरगाहों तक पहुंच और कई हिस्सों में शिपमेंट के लिए वैध होगा, बशर्ते निर्यातक, आयातक और मूल देश पूरी खेप के लिए एक ही हो। परमिट नंबर मूल/पुनः निर्यात के देश में जारी किए गए फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र पर उद्धृत किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

तारीख:_____ स्थान:_____	(मुहर)	नाम हस्ताक्षर जारीकर्ता प्राधिकारी का पदनाम

अनुबंध- VI

भारत में जीवित समुद्री शैवाल के आयात के लिए नामित बंदरगाह/हवाई अड्डे

1. जीवित समुद्री शैवाल/समुद्री शैवाल सामग्री की सभी खेपों को भारत में केवल निम्नलिखित प्रवेश बंदरगाहों या अन्य प्रवेश बिंदुओं के माध्यम से आयात किया जाएगा, जिन्हें इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर अधिसूचित किया गया है।

I. अहमदाबाद, गुजरात
II. मुंबई हवाई अड्डा/बंदरगाह, महाराष्ट्र
III. बैंगलोर, कर्नाटक
IV. कोचीन हवाई अड्डा/बंदरगाह, केरल
V. चेन्नई हवाई अड्डा/बंदरगाह, तमिलनाडु
VI. कोलकाता हवाई अड्डा/बंदरगाह, पश्चिम बंगाल

नोट: सभी आयातों की अनुमति केवल भारत सरकार द्वारा निर्धारित बंदरगाहों/हवाई अड्डों के माध्यम से ही दी जाएगी तथा बाद में इस सूची में वृद्धि हो सकती है।

अनुबंध - VII

(प्रतीक)

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

रिलीज आदेश

संदर्भ संख्या: _____ जारी करने की तिथि: _____

भारत में जीवित समुद्री शैवाल के आयात के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस स्टेशन पर भेजे गए जीवित समुद्री शैवाल / समुद्री शैवाल सामग्री की निम्नलिखित खेप का निरीक्षण या उपचार किया गया है और इसे नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संगरोध मंजूरी दी गई है:

1. माल का नाम (सामान्य/वैज्ञानिक नाम)	
2. मात्रा (भार/संख्या)	

3.पैकेजों/कंटेनरों की संख्या और पैकिंग का तरीका	
4.मूल देश/पुनर्निर्यात और शिपमेंट का विदेशी बंदरगाह	
5.विशिष्ट चिह्न	
6. परिवहन के साधन और आगमन की तिथि	
7.भारत में प्रवेश का स्थान	
8.आयातकर्ता का नाम और पता	
9.प्रवेश बिल संख्या/शिपिंग या एयरवे बिल संख्या और दिनांक	
10. नमूनाकरण/निरीक्षण/उपचार की तिथि	
तारीख: _____ स्थान : _____	नाम: हस्ताक्षर: सक्षम प्राधिकारी
प्रतिलिप : i) सीमा शुल्क कलेक्टर: ii) निरीक्षण प्राधिकरण iii) उप निदेशक (जलीय संगरोध), नई दिल्ली * *जो लागू न हो उसे काट दें*	

अनुलग्नक- VIII

(प्रतीक)

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्य विभाग

निर्वासन / विनाश आदेश

सं.: _____ जारी करने की तिथि: _____

भारत में जीवित समुद्री शैवाल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस स्टेशन पर भेजे गए जीवित समुद्री शैवाल/समुद्री शैवाल सामग्री की निम्नलिखित खेप का निरीक्षण या उपचार किया गया है और इसे वापस भेजने/नष्ट करने का आदेश दिया गया है क्योंकि इसे उपरोक्त दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन करके आयात किया गया था। विवरण इस प्रकार है

1. माल का नाम (सामान्य/वैज्ञानिक नाम)	
2. मात्रा (भार/संख्या)	
3.पैकेजों/कंटेनरों की संख्या	
4.मूल देश/पुनर्निर्यात और शिपमेंट का विदेशी बंदरगाह	
5.विशिष्ट चिह्न, यदि कोई हो	
6. परिवहन के साधन और आगमन की तिथि	
7.भारत में प्रवेश का स्थान	
8.आयातकर्ता का नाम और पता	

9.प्रवेश बिल संख्या/शिपिंग या एयरवे बिल संख्या और दिनांक	
10. नमूनाकरण/निरीक्षण/उपचार की तिथि	

गैर-अनुपालन की प्रकृति

() माल को वैध आयात परमिट या फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र के बिना आयात किया गया है, जैसा कि भारत में जीवित समुद्री शैवाल के आयात के दिशानिर्देशों में कहा गया है।

() निरीक्षण में माल भारत में जीवित समुद्री शैवाल के आयात के लिए दिशानिर्देशों में उल्लिखित कीट/रोगों से संक्रमित पाया गया।

() निरीक्षण में माल संगरोध खरपतवार से संदूषित पाया गया

() माल का प्रवेश निषिद्ध है _____

() माल काफी हद तक एपीफाइटिक एलगे/रेत से संदूषित पाया गया

() माल आपत्तिजनक पैकेज सामग्री के साथ पैक पाया गया

() कोई अन्य कारण (निर्दिष्ट करें):_____

नोट: जो भी लागू हो, उसे टिक करें।

तारीख :	नाम:
स्थान :	हस्ताक्षर:
	सक्षम प्राधिकारी

<u>आयातक या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा की जाने वाली कार्रवाई।</u>

उपर्युक्त माल/कंटेनर को इस आदेश के जारी होने की तारीख से _____ दिनों के भीतर निर्वासित किया जाएगा, जिसके लिए आयातक या उसके अधिकृत एजेंट को आवश्यक अनुमोदन के लिए पुनः शिपिंग बिल प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसे मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से अपने खर्च पर नष्ट करने की व्यवस्था करनी होगी।

तारीख :

स्थान :

प्राधिकृत अधिकारी का नाम

पद का नाम

हस्ताक्षर:

मुहर

प्रतिलिपि

1. _____ आयुक्त

(सीमा शुल्क आयुक्त का पता)

2. पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण/हवाई अड्डा प्राधिकरण _____
3. उप निदेशक (जलीय संगरोध), नई दिल्ली

अनुबंध - IX

समुद्री शैवाल आयातक से त्रैमासिक रिपोर्ट का प्रारूप

1.	आयातक का नाम और पता	
2.	संपर्क नंबर और ईमेल पता	
3.	परमिट संख्या और तारीख	
4.	फार्म/प्रयोगशाला का स्थान	
5.	आयातित प्रजातियों का सामान्य और वैज्ञानिक नाम	
6.	कुल आयातित मात्रा (किलोग्राम में)	
7.	आयातित जीवित समुद्री शैवाल की उत्पत्ति	
8.	परिवहन मृत्यु दर (किलोग्राम में)	
9.	संगरोध मृत्यु दर (किलोग्राम में)	
10.	समुद्री शैवाल संवर्धन विधि के प्रकार	
11.	सामान्य जलीय स्वास्थ्य निगरानी और किसी भी असामान्य मृत्यु दर पर रिपोर्ट	
12.	जलीय पर्यावरण में आयातित जीवित समुद्री शैवाल को शामिल करने के बाद जल गुणवत्ता मापदंडों में कोई भी परिवर्तन देखा गया	
13.	यदि कोई कीट या रोग देखा गया	
14.	क्या आयातित जीवित समुद्री शैवाल से आसपास के पर्यावरण पर कोई आक्रमण देखा गया है?	
15.	किसानों को बेचे गए समुद्री शैवाल के बीजों/बीजाणुओं/पौधों की कुल संख्या	
16.	जिन किसानों को बेचा गया है उनका विवरण (नाम, पता और पंजीकरण संख्या की जानकारी शामिल होगी) और तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा जारी समुद्री शैवाल की खेती के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति।	
स्थान : दिनांक: नाम		हस्ताक्षर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का

अनुबंध- X

क्वारंटाइन सुविधा की बुनियादी आवश्यकताएं

1) सुविधा को जलकृषि परिचालनों से अलग रखा जाना चाहिए
2) समुद्री जल की पर्याप्त गुणवत्ता और मात्रा
3) अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान के लिए उचित प्रणाली
4) समुद्री शैवाल सामग्री रखने के लिए उपयुक्त आकार का टैंक
5) जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पर्याप्त फिल्टरेशन प्रणाली
6) पर्याप्त ऑक्सीजन स्तर सुनिश्चित करने के लिए वातन प्रणाली
7) जल गुणवत्ता मापदंडों को मापने के लिए उपकरण

8) समुद्री शैवाल नमूनों पर परीक्षण और विश्लेषण करने के लिए प्रयोगशाला

9) बिजली की आपूर्ति

10) सख्त संगरोध और स्वच्छता प्रोटोकॉल

11) जैव सुरक्षा प्रथाओं और समुद्री शैवाल के उचित प्रबंधन में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना

12) कीट नियंत्रण उपाय

13) पर्याप्त जैव सुरक्षा उपाय

14) अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हों

15) संगरोध सुविधा को बनाए रखने के लिए आवश्यक कोई अन्य प्रासंगिक आवश्यकता

**उपर्युक्त आवश्यकताओं की सूची सांकेतिक है।*

******

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2024

Subject: Guidelines for Import of Live Seaweeds into India.

F.No. j-1503529/5/2024-DOF (E-24345)—Whereas, Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying is the Nodal Department for development of fisheries and aquaculture sector in India; and develop the guidelines for import of live seaweeds into India in consultation with stakeholders.

2. Now, Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying hereby notifies the following guidelines, namely 'the guidelines for import of live seaweeds into India'.

NEETU PRASAD, Jt. Secy.

1. PREAMBLE

1.1 The global production of seaweed was 35 million tonnes (wet weight), worth around 16.5 billion USD according to FAO (2022). Almost 94% of the total production was contributed by 8 seaweed species viz., *Laminaria japonica, Eucheuma spp., Gracilaria spp., Undaria pinnatifida, Porphyra spp., Kappaphycus alvarezii, Sargassum fusiforme* and *Eucheuma denticulatum.* According to ICAR-Central Marine Fisheries Research Institute (ICAR-CMFRI), the quantity of wild-harvested seaweed in India was 0.03 million tonnes (2021). As per the recent estimate by CMFRI, India has the potential to produce around 9.7 million tonnes of seaweed per year, while the current seaweed production is only 34 thousand tonnes. The major industrial applications of seaweeds are as a source of agar, agarose and carrageenan used in laboratories, pharmaceuticals, cosmetics, cardboard, paper, paint and processed foods. Currently, seaweed-based industries are not functioning up to their rated capacity, due to short-supply of raw materials.

1.2 India has a rich diversity of about 844 seaweed species of which the Red Algae *Gelidiella acerosa, Gracilaria edulis, G. crassa, G. foliifera* and *G. verrucosa* are farmed for manufacturing Agar and the Brown Algae *Sargassum* spp., *Turbinaria* spp. and *Cystoseira trinodis* for the production of alginates and liquid seaweed fertilizer. Seaweed cultivation is a highly income yielding activity involving simple, low cost, low maintenance technology with short grow-out cycle.

1.3 The flagship scheme of Government of India namely *Pradhan Mantri Matsya sampada Yoiana* (PMMSY) envisaged to revolutionize the seaweed sector, aiming to increase seaweed production of the country over 1.12 million tonnes by 2025. To carry out the culture activities, recently ICAR-CMFRI has geotagged 342 potential sites for cultivating marine plants and algae along the Indian coast. However, Indian seaweed production is mostly depended upon culture of *Kappaphycus alvarezii* and other few native varieties. Over-dependence on *K. alvarezii,* which is losing its vigour of fast growth and became disease-prone over the years. This call for the import of new varieties and strains of seaweeds to improve production and productivity.

1.4 At present live seaweed materials are not included under the import and export guidelines of India for agriculture articles framed by the Directorate General of Foreign Trade (DGFT), Government of India. Our country has Indian

plant quarantine regulations in place legislated under 'Destructive Insects and Pests Act, 1914' and 'Plant Quarantine (regulation of import into India) order 2003' for the purpose of regulating the import of agricultural articles into India. The existing PQ Order-2003 regulates the import of 'Seaweeds – *Chondrus* spp./ *Ecklonia maxima*/ *Eucheuma* spp./*Gelidium* spp./ *Gelidiella* spp./ *Gracilaria* spp./ Kappaphycus spp./ *Pteroclodia* spp.' in dried form for consumption under Schedule VII.

1.5 There are several factors that necessitate distinct quarantine and import guidelines for seaweed, as compared to the existing guidelines for terrestrial plants.

i. *Unique characteristics of seaweeds*: Seaweeds have distinct characteristics that differentiate them from terrestrial plants. Seaweeds are submerged in water and are exposed to different environmental conditions, such as varying salinity levels, water currents, and temperature fluctuations.

ii. *Biosecurity risks*: Seaweeds can harbour various diseases, pests, and pathogens that can spread rapidly in marine environments. These biosecurity risks can pose threats to wild seaweed populations, as well as to other aquaculture operations.

iii. *Biological factors:* Differences in reproductive strategies and genetics can impact the potential for spread, establishment, and persistence of seaweed in new environments

iv. *Regulatory and Policy Factors:* Different countries like Philippines, Indonesia, Malaysia, and Tanzania have specific regulations and policies in place for the import, export, and release of seaweed and terrestrial plants. Hence, specific quarantine guidelines for seaweeds can help regulate the international trade and movement of seaweeds to minimize the risk of spreading diseases and pests across different regions

1.6 In summary, the unique ecological, environmental, biological, genetic, regulatory, and policy factors associated with seaweed and terrestrial plants necessitate separate quarantine guidelines. These guidelines are required to effectively manage the risks associated with seaweed introductions and ensure responsible management of this valuable marine resource.

2. DEFINITIONS

2.1 Authorized officer means a person authorised by the Competent Authority to sign health/quarantine/phytosanitary certificates for seaweeds

2.2 Biosecurity means a strategic and integrated approach to analyzing and managing relevant risks to human, animal (including aquatic), plant life and health and associated risks to the environment

2.3 Consignment (also termed "shipment") – a group/packages of live seaweed material described in a phytosanitary certificate and/or in a permit to import.

2.4 Competent Authority means the Authority responsible for management of aquatic plant germplasm health as may be notified by the Department of Fisheries, Government of India.

2.5 Exporting country means a country from which live seaweed materials are sent to a destination in another country.

2.6 International trade means import, export or transit of various forms of live seaweed material and biological products.

2.7 Import means an act of bringing into any part or place of territory of Republic of India any kind of seaweed material and other regulated article from a place outside India either by sea, land, air or across any customs frontier.

2.8 Import permit means an official document authorizing importation of a consignment in accordance with specified phytosanitary requirements.

2.9 Importer means person/company/government agency importing various forms of live seaweed material from outside the country.

3.0 Invasive species means non-indigenous species that adversely affect the habitats they invade economically, environmentally or ecologically.

3.1 Live seaweed material means any living seaweed that are collected from wild or genetically improved under laboratory conditions for commercial culture purposes.

3.2 Pest means any biotic agent capable of causing any injury or damage to plants and plant products and include any form or stage of insects, mites, snails, slugs, worms, nematodes, algae, fungi, protozoa, bacteria, actinomycetes, viruses, viroids and molecutes and also include genetically engineered or modified organisms and weeds.

3.3 Phytosanitary certificate means a certificate issued in the model format prescribed under the International Plant Protection Convention of the Food & Agricultural Organization and issued by an authorized officer at the country of origin of consignment or re-export.

3.4 Point of entry means any sea port, airport, or land-border check-post or rail station, river port, foreign post office, courier terminal, container freight station or inland container depot notified by Department of Fisheries, Government of India.

3.5 Quarantine means maintaining a live seaweed material in isolation with no direct or indirect contact with other aquatic biota/wild environments, in order to undergo observation for a specified length of time and, if appropriate, testing and treatment, including proper treatment of the effluent waters.

3.6 Quarantine officer means a technically competent person authorized by the Competent Authority for purposes of inspecting and certifying compliance with the health requirements of the Competent Authority concerning the import and export of various forms of live seaweed material.

3.7 Quarantine period means a minimum period of quarantine, typically as specified in a seaweed quarantine guidelines or other legally binding document (e.g. national or state regulations).

3.8 Risk analysis means the complete process composed of hazard identification, risk assessment, risk management and risk communication.

3.9 Seaweed means marine macroalgae which are photosynthetic aquatic organisms

4.0 Seaweed Germplasm means seaweed in whole or in parts and their propagules including seeds, vegetative parts, tissue cultures, cell cultures, genes and DNA based sequences that are held in a repository or collected from wild as the case may be and are utilized in genetic studies or breeding programmes for its improvement.

4.1 Shipment means a group of aquatic animals or products thereof destined for transportation.

4.2 Surveillance means a systematic series of investigations of a given population of aquatic animals to detect the occurrence of disease for control purposes, and which may involve testing samples of a population.

4.3 Susceptible species/organism means a species of aquatic biota/seaweed in which infection has been demonstrated by natural cases or by experimental exposures to the disease agent that mimics the natural pathways for infection.

3. GENERAL CONDITIONS FOR IMPORT

3.1 No import of the seaweed live material shall be allowed if the seaweed is found to be fall under the following categories

i. Seaweed is known to be a vector or carrier of pathogens or listed under the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) or in the threatened list of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) or that of the exporting country's threatened list. However, if the exporting country's competent authority certifies it, it can be permitted.

ii. Species under any other ban imposed on the import due to national legislation or international treaties/conventions.

iii. Invasive species exhibiting well-documented deleterious impacts in India or other countries having environmental conditions similar to India.

3.2 No import of seaweed live material is permitted without a valid permit from Department of Fisheries, Government of India.

3.3 No seaweed shall be imported into India without complying the phytosanitary conditions as stipulated in the pre-import permit.

3.4 The issue of permit may be refused or withheld by the issuing authority after giving reasonable notice to the applicant and for reasons to be recorded in writing.

3.5 The import permit issued shall be valid for six months from the date of issue and valid for listed port access as per Annexure-VI and for multiple part shipments provided the exporter, importer and country of origin are the same for the entire consignment. Suppression of the facts or any material information while issue of import permit is liable to be cancelled or withdrawn.

3.6 The import permit issued shall not be transferable and no amendments to the permit shall be issued except for change of point of entry subject to reasons to be recorded in writing.

3.7 The seaweeds can be either from wild or genetically modified strains of certified laboratories The indicative list of seaweed species to be considered for import is given in Annexure-I.

3.8 It should be devoid of epiphytes, any biotic agent capable of causing any injury or damage to seaweed and seaweed products and include any form or stage of insects, mites, snails, slugs, worms, nematodes, algae, fungi, protozoa, bacteria, actinomycetes, viruses and viroids, and also include genetically engineered or modified organisms and weeds. The indicative list of diseases is given in Annexure-II.

3.9 Request for import of a live seaweed shall be subject to clearance from National Committee on Introduction of Exotic Aquatic Species into Indian Waters.

3.10 The Phytosanitary clearance from the exporting country for the seaweed live material is required in the prescribed format as in Annexure- III

3.11 Direct sale of imported seaweed in the domestic market or international market shall not be allowed.

3.12 All the consignments of live seaweed material shall be imported into India only through ports of entry and falling within the jurisdiction of Plant Quarantine Station /Animal Quarantine Certification & Services namely Chennai, Kochi and Ahmedabad or those notified by the Department of Fisheries from time to time.

3.13 On arrival, at the first point of entry the consignment shall be inspected by any officer duly authorized by Department of Fisheries, Government of India and appropriate samples shall be drawn for laboratory testing, in accordance with the guidelines issued by Department of Fisheries from time to time.

3.14 After inspection and laboratory testing, fumigation, disinfection or disinfestation, successful quarantine period as may be considered necessary, accord quarantine clearance for farming/grow out/research as per Annexure-VII and or order deportation or destruction of the consignment as per Annexure-VIII in the event of non-compliance with the restrictions and conditions specified in this Order.

3.15 Where fumigation or disinfestation or disinfection is considered necessary in respect of a consignment of live seaweed the importer shall on his own and at his cost arrange for the fumigation, disinfection or disinfestation of the consignment, through an agency approved by the any relevant Govt. agencies.

3.16 Neither the exporter nor the importer shall claim any intellectual property or other right on the imported material.

4. MODE OF APPLICATION

4.1 The importer intending to import live exotic seaweed material shall apply in the prescribed format as per Annexure- IV accompanied with particulars like scientific and common name of the seaweed, photographs of the seaweed including various body parts. Without these, the application for permit shall be rejected.

4.2. The permission of import shall be issued by the Competent Authority in the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, after examination of the proposal and due consideration of the recommendation of the National committee on introduction of exotic aquatic species into Indian waters. The permission in approved cases shall be communicated to the applicant within four weeks from the date of receipt of the complete proposal.

4.3 The import permit issued shall be non-transferable and valid for six months from the date of issue.

4.4 The issuing authority might consider one revalidation not exceeding maximum of three months provided such request for extension of validity is made to the issuing authority before the expiry of the permit with adequate justification.

4.5 Import of seaweed live material shall be allowed only through designated seaports/airports as per Annexure-VI.

5. APPLICATION FEE

5.1 Online payment of Rs. 300/- per application can be made to the Bharatkosh through the online payment gateway and the receipt of the same shall be attached with the application.

6. PACKAGING AND TRANSPORT

6.1 Seaweed live material must be packaged in leak-proof bags and must enable proper inspection and identification.

6.2 The packaging shall facilitate easy inspection of the consignment by the officer duly authorized by Department of Fisheries, Government of India at the port of entry.

6.3 Each box or carton must be clearly identified with label mentioning name and quantity of seaweed live material and identification number of each box/carton. In case, any preservative kind of material has been used during transport, it should be clearly mentioned in the packaging list.

6.4 The consignment must be accompanied by relevant documents including phytosanitary certificate and photograph of species, copy of import permit, copy of quarantine certificate (if applicable), invoices, certificate of origin, bill of lading and other documents issued by the transport authority of exporting country.

7. STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOPs) FOR SEAWEED QUARANTINE

(where needed, detailed procedure and / or authorized institutes shall be notified)

7.1 Every species/strain of live seaweed imported into the country shall have to be subjected to the quarantine procedures in a quarantine facility designated by the Department of Fisheries, Government of India.

7.2 The quarantine fee shall be prescribed by the Quarantine facility in consultation with the Department of Fisheries, Government of India.

7.3 The cost of screening and testing shall be borne by the importer. The testing of samples shall be undertaken in the Institutes of Indian Council of Agricultural Research or the laboratory approved by the Directorate of Plant protection, Quarantine & Storage / Department of Fisheries, Government of India.

7.4 Receiving and Transport of Consignment from Airport

i. Upon arrival of the Consignment, accompanying pre-import permit and Phytosanitary Certificate and other relevant documents issued by the competent authority of exporting country should be verified and imported species should be rechecked at the quarantine facility and certificate of quarantine be issued by the the designated authority.

ii. Consignment, containing seaweed should be cleared in presence of the Aquatic Plant Quarantine Officer or any officer duly authorized by Department of Fisheries, Government of India who will take charge of the consignment. Gross observation of the consignment, damages if any will be recorded by the authorized officer in the presence of the importer or his representative.

iii. Upon clearance from the port of entry, consignment shall be transferred immediately to the approved quarantine facility in a sanitised truck by the route designated by officer duly authorized by Department of Fisheries, Government of India. The quarantine of the imported material may be undertaken by the in-house quarantine facilities established by the importer and approved by Government of India or any designated facility by Department of Fisheries, Government of India. The basic requirements for the quarantine facility are annexed as Annexure-X.

7.5 Permitting the consignment at Aquatic Plant Quarantine Facility

i. Only the bags with seaweed should be taken inside the quarantine unit.

ii. Representative of the importing firm/agency shall be permitted to observe the condition of the seaweed. The representative will acknowledge the status of the consignment.

iii. Except the seaweeds, other materials used for transport shall be incinerated by officials of Aquatic Plant Quarantine Facility or staff of any other facility designated for the similar purpose.

7.6 Inspection and sampling of consignments

i. A representative sample from the seaweed will be drawn for each species / strain / variety to carry out laboratory testing

ii. Sampling regime for carrying out various laboratory testing of Seaweeds

Seaweed Quantity (kg)	Sample to be drawn for each species / strain / variety to carry out laboratory testing
Less than 10	1% sample
11-100	2% sample
101-1000	2.5% smple
1001 -10000	1% sample

iii. The inspecting officer shall ensure that the inspection/sampling procedures adopted are adequate for the detection of quarantine pests and /or regulated non-quarantine pests and are consistent with phytosanitary requirements of India.

iv. The sample collected/forwarded for laboratory testing will be appropriately packed to prevent any escape of pest, sealed and labelled. The sampling label will provide detailed information viz., Lot/Batch Number, Name of the consignment (species/variety), Sample size, Place of inspection, Date of inspection, Name/Signature of Inspector

v. Samples should be tested for insects, worms and other infections due to fungi, bacteria and viruses.

vi. Laboratory expert upon conducting all the tests will submit a detailed report. The report should indicate the type of tests carried out, seaweed species/variety examined and the degree of infestation/infection and quarantine status of the pest noticed along with recommendations, if any, and submit to the authorized officer.

vii. The authorized officer, immediately after the receipt of inspection/testing report will verify with concerned laboratory expert.

viii. If any risks are detected, the consignment will be recommended for deportation/destruction and the importer or his agent will be communicated the action taken in the prescribed format as per Annexure-VII

ix. In case no risks are detected, the Authorised officer shall issue a Quarantine Certificate.

7.7 Maintenance at Quarantine Facility

i. The seaweed quarantine unit should be isolated from other aquaculture facilities for seaweed.

ii. Quarantine process should be done in tank culture system to minimize risks caused by the exotic pathogen/pests that may be associated with imported seaweeds and have potential to be transferred into the local marine environment.

iii. Seawater that is used in the tank system should be filtered with an appropriate water filtration system through 1 micron sieve and be treated with UV light.

iv. Tank should be cleaned and disinfected (may use Chlorine solutions as disinfectant with appropriate concentrations).

v. Prior to the quarantine process, the seawater should be checked for inorganic nutrients (e.g., NH_4, NO_3, and PO_4), salinity and temperature, to ensure that these parameters are optimum for seaweed culture (Values and Concentrations may differ according to the species).

vi. The tank system should be adequately aerated, depending on the volume of the tank and checked to ensure optimum light intensity for photosynthesis (60 – 80 µmol photons m^2 s^1)

vii. Equipment used in the quarantine facility, such as scrubbing brushes, thermometers, filters etc are to be treated with a chlorine dip after use.

viii. Holding tanks are to be drained, scrubbed and clean at least twice a week

ix. Seaweed is to be thoroughly rinsed with fresh seawater before placement into holding tanks to remove any unwanted microorganisms.

x. The imported seaweed stock would undergo quarantine in approved quarantine facility for two weeks (14 days).

xi. The in-charge of quarantine facility shall ensure the optimal water quality for maintenance of imported seaweed.

xii. During the process, the seedlings should be monitored daily for signs of color change, appearance of filamentous algae, and for growth performance.

xiii. A log book shall be maintained for recording details of treatment, observations and clinical abnormalities if any on a daily basis.

xiv. The discharged water from the quarantine should be held temporarily and treated with hypochloride solution (> 20 PPM active chlorine for not less than 60 minutes) or other effective disinfectant prior to discharge. This is particularly crucial where the water is to be discharged to the same location as the abstraction point.

xv. There should be means provided for disinfection of vehicle tyre (tyre bath at gate) feet (foot bath containing hypochlorite solution at > 50 ppm active chlorine) and hands (bottles containing iodine-PVP 20 PPM and/or 70 % alcohol) to be used upon entering and exiting the facility.

xvi. Entry of unauthorized person to be restricted.

xvii. If the stock shows no signs of mortality or infections the stock shall be released to the importer packed in polythene bags.

xviii. The importer shall be provided with delivery challan along with quarantine certificate.

8. POST QUARANTINE INSPECTION

8.1 Competent Authority have right to carry out the post quarantine inspection of rearing facility, farms, laboratories of the importers to confirm the specified norms for assuring the imported seaweed materials are used for the purpose for which they are imported

8.2 The importer shall submit quarterly status report on transport, propagation, culture, laboratory experiments etc. after the import to Department of Fisheries, Government of India as per Annexure-IX.

9. ACTIONS AGAINST VIOLATIONS OF THE GUIDELINES

9.1 The importer shall keep in mind the biosafety, biohazards and economic interest of the nation. Any biosafety and other related hazards arising out of release of the imported seaweed live material into the natural waters shall entirely be the responsibility of importer/importing organization and shall be liable to be proceeded against in accordance with the relevant rules of Government of India.

9.2 If during the course of inspection, it comes to the notice of the Competent Authority that the importer wilfully suppressed certain important information/deliberately furnished wrong information or that the species sought to be imported and the one actually imported are not the same or that the imported specimens also consist of species for which approval has not been obtained, the import permit shall be cancelled forthwith and all the specimens imported destroyed without any notice to or permission of the importer.

9.3 The importer shall take abundant care to prevent any accidental escape and wilful release of the seaweed from the farm/growing areas. In the event of accidental escape/ wilful release of seaweed away from the growing areas or farm, the matter should be reported to the competent authority.

ANNEXURE-I

INDICATIVE LIST OF SEAWEED SPECIES/STRAINS TO BE CONSIDERED FOR IMPORT

#	Scientific name	Class
1.	*Eucheuma spp*	*Red seaweed*
2.	*Eucheuma denticulatum*	*Red seaweed*
3.	*Gracilaria dura*	*Red seaweed*
4.	*Gracilaria debilis*	*Red seaweed*
5.	*Gracilaria spp*	*Red seaweed*
6.	*Gracilaria verrucosa*	*Red seaweed*
7.	*Gelidium amansii*	*Red seaweed*
8.	*Kappaphycus alvarezii*	*Red seaweed*
9.	*Caulerpa spp.*	*Green seaweeds*
10.	*Enteromorpha clathrata*	*Green seaweeds*
11.	*Monostroma nitidum*	*Green seaweeds*
12.	*Sargassum fusiforme*	*Brown seaweed*
13.	*Codium fragile*	*Green seaweeds*
14.	*Laminaria japonica*	*Brown seaweed*
15.	*Undaria pinnatifida*	*Brown seaweed*
16.	*Porphyra spp*	*Red seaweed*

**The species are indicative and are of commercial value. The list may be expanded by the Department of fisheries, Government of India as per the requirement in the Government, which may also notify a negative list for import from any specific country or a geographic region.*

ANNEXURE-II

INDICATIVE LIST OF PESTS/ DISEASES IN SEAWEEDS

1) Rotten thallus syndrome

2) Epiphytic filamentous algae

3) Ice-ice disease

4) Pitting

5) Sedimentation

6) Red rot disease

7) Tip Discolouration

8) Olpidiopsis disease

9) White spot disease

10) Anaaki disease

11) Diatom felt

12) Cyanobacteria felt

13) Green-spot diseases

14) White blight disease

15) Hole-rotten disease

16) Twisted frond diseases

17) Shot-hole disease

18) Spot-rotting diseases

19) Yellow- hole disease

20) Spot decay

21) Green Decay diseases

22) Pin-hole disease

23) Brown endophytic disease

**The above list of diseases is indicative and the exporter, importer and inspection authority should check for any diseases/abnormalities than those which are listed here*

ANNEXURE-III

PHYTOSANITARY CERTIFICATE

No:_____

From	**To**
Plant Protection Organisation of Or any other authority as designated by competent authority of exporting country	Joint Secretary, Department of Fisheries Govt. of India / Plant Protection Organisation (s) of ……..
Description of Consignment	
Name and address of exporter	
Name and Address of consignee	
Number and description of packages	
Place of origin	
Declared means of conveyance	
Declared point of entry into India	
Name of produce and quantity declared	
Scientific name of the species	
This is to certify that the seaweed materials described above have been inspected according to appropriate procedures and are considered to be free from quarantine pests and practically free from injurious pests and that they are considered to conform to the current phytosanitary regulations at the importing country	

Details of Disinfestation and/ or Disinfection Treatment			
Date		Temperature	
Duration		Chemical (active ingredient)	
Treatment		Concentration	
Additional information			
Additional Declarations:			
Place of issue: Date of issue:	Stamp of Organization	Name ,Signature and Seal of Authorized officer	

No financial liability with respect to this certificate shall attach to…… (Name of Plant Protecntion Organization/ any other authority as designated by competent authority of exporting country) *) …… or to any of its officers or representatives *.*Optional clause*

ANNEXURE-IV

APPLICATION FOR PERMIT TO IMPORT LIVE SEAWEED INTO INDIA

To, Joint Secretary, Department of Fisheries, Govt of India (Issuing Authority)				
I/We hereby make an application in accordance with the guidelines of Import of Live Seaweeds into India for permission to import following live seaweed / seaweed material.				
1.Name and Address of Importer		2.Name and Address of Exporter		
3.Country of origin / re-export		4.Foreign port of shipment		
5.Approximate date of arrival of shipment				
6. Point of entry into India		7. Means of conveyance		
8.Description of seaweed (Species name/ Common name)	9.Variety / Hybrid	10. Quantity (Wt/Nos)	11. No. of. Packages	12.Mode of packing
13.Whether Transgenic or not?				
14.Name of location of post-entry quarantine facility, where applicable?				
15.Purpose of import				
16.Precise Culture/Propagation/ Research location				
17. Particulars of documents, if any attached				

Declaration

I/We hereby declare that the information furnished above is correct and complete in all respects and undertake to pay to an officer duly authorized by Department of Fisheries, Government of India, the prescribed fees towards inspection, treatment or post-entry quarantine inspection of the above consignment and abide by the instructions/guidelines issued by him.

Date: **Seal** (Name, Signature and seal of Importer or his authorized Agent)

Place:

Essential Enclosure: Photographs of seaweed species to be imported (the photograph should be of the specimens of the seaweed from where the import is proposed and not from published or sources).

Instruction for filling proforma : No column/row should be left blank. If information is not available if N.A and if the item is not relevant, N.A.

ANNEXURE- V

(Emblem)

Government of India

Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying

Department of Fisheries

PERMIT FOR IMPORT OF LIVE SEAWEEDS INTO INDIA

Permit No._____ Date of issue_____

Valid up to_____

In accordance with the guidelines for Import of Live Seaweeds into India, I hereby grant permission to import the following live seaweed / seaweed material as detailed below:

1.Name & Address of Importer		2.Name & Address of Exporter		
3.Country of origin / re-export		4. Point of Entry into India		
5.Description of seaweed (Species name/ Common name)	6.Variety / Hybrid	7. Quantity (Wt/Nos)	8. No. of. Packages	9. Mode of packing

10.The above permission is granted subject to the following conditions: -

1) The consignment of seaweed materials shall be free from weed species and diseases

2) (i) The consignment shall be accompanied by a Phytosanitary Certificate/ Phytosanitary Certificate for re-export issued by an authorized officer in the country of origin / re-export as the case may be with an additional declaration for the freedom from

a) _____

b)_____

c)_____

(or) that the above-specified pests do not occur in the country or state of origin.

5) (ii) Certified that the seaweed materials as described above obtained from the mother crop/ stock which was inspected on regular intervals by an appropriate authority in the country of origin and found free from _____

6) The consignment shall be grown in an approved post-entry quarantine facility designated by the Department of Fisheries, Government of India for a period of (days/month) _____

7) The permit is not transferable and shall be valid for six months from the date of issue and valid for multiple port access and multiple part shipments provided the exporter, importer and country of origin are the same for the entire consignment. The permit number shall be quoted on the phytosanitary certificate issued at the country of origin/re-export, as the case may be.

Date:_____	(Seal)	Name
		Signature
Place:_____		Designation of Issuing Authority

ANNEXURE-VI

DESIGNATED SEAPORTS/AIRPORTS FOR IMPORT OF LIVE SEAWEEDS INTO INDIA

1. All consignments of live seaweed/seaweed material shall only be imported into India through following port of entry or other points of entry as may be notified from time to time for this purpose.

I. Ahmedabad, Gujarat

II. Mumbai Airport/Seaport, Maharashtra

III. Bangalore, Karnataka

IV. Cochin Airport/Seaport, Kerala

V. Chennai Airport/Seaport, Tamil Nadu

VI. Kolkata Airport/Seaport, West Bengal

Note: All the imports are only allowed through seaports/ airport designated by Government of India and this may increase at later stage.

ANNEXURE-VII

(Emblem)

Government of India

Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying

Department of Fisheries

RELEASE ORDER

Ref No: _____ Date of Issue: _____

In accordance with the guidelines of Import of Live Seaweeds into India, the following consignment of live seaweed / seaweed material referred to this station has been inspected or treated and the same has been accorded quarantine clearance as detailed below:

1.Name of the consignment (Common/scientific name)	
2.Quantity (Wt./nos.)	
3.Number of packages/containers and mode of packing	
4.Country of origin/re-export and foreign port of shipment	
5.Distinguishing marks	
6.Means of conveyance & date of arrival	
7.Point of entry into India	
8.Name and address of the importer	
9.Bill of entry no./shipping or airway bill no. and date	
10. Date of sampling/inspection/treatment	
Date: _____ Place: _____	Name: Signature: Competent Authority

Copy to:

i) Collector of Customs:

ii) Inspection Authority

iii) Deputy Director (Aquatic Quarantine), New Delhi

**Strike out which is not applicable*

ANNEXURE -VIII

(Emblem)

Government of India

Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying

Department of Fisheries

DEPORTATION / DESTRUCTION ORDER

No: _____ Date of Issue: _____

In accordance with the guidelines of Live Seaweeds into India, the following consignment of Live seaweed / seaweed material referred to this station has been inspected or treated and the same has been ordered for eportation/destruction as the same was imported in violation of the provisions of the above guidelines. The details are as under

1.Name of the consignment (Common/scientific name)	
2.Quantity (Wt./nos.)	
3.Number of packages/containers	
4.Country of origin/re-export and foreign port of shipment	
5.Distinguishing marks, if any	
6.Means of conveyance & date of arrival	
7.Point of entry into India	
8.Name and address of the importer	

9.Bill of entry no./shipping or airway bill no. and date	
10.Date of sampling/inspection/treatment	

Nature of Non-Compliance

(i) Consignment has been imported without valid Import Permit or Phytosanitary Certificate as stated in the guidelines of Import of Live Seaweeds into India.

(ii) Consignment on inspection found to be infested/infected with a pest/diseases stated in the guidelines for Import of Live Seaweeds into India.

(iii) Consignment on inspection found to be contaminated with quarantine weed

(iv) Consignment is prohibited entry _____

(v) Consignment found to be substantially contaminated with epiphytic algae/sand

(vi) Consignment found packed with objectionable package material

(vii) Any other reason (specify):_____

Note: Tick-out, which ever applicable.

Date :	Name:
Place :	Signature:
	Competent Authority

Action to be taken by the importer or his authorized Agent.

The above stated consignment/container shall be deported within _____ days from the date of issue of this order for which the importer or his authorised agent shall submit the re-shipping bills for necessary endorsement failing which the same shall be arranged for destruction at his own cost in manner prescribed by the Department of Fisheries, Govt. of India

Date :

Place :

Authorised Officers Name

Designation

Signature:

Seal

Copy to

1. Commissioner of _____

   (Address of Commissioner ate of Customs)

2. Port Trust Authority/Airport Authority of _____

3. Deputy Director (Aquatic Quarantine), New Delhi

ANNEXURE –IX

FORMAT FOR QUARTERLY REPORT FROM SEAWEED IMPORTER

1.	Name and address of the importer	
2.	Contact number & email address	
3.	Permit number and date	
4.	Location of the farm/ laboratory	
5.	Common and scientific name of the imported species	
6.	Total quantity imported (in kgs)	
7.	Origination of imported live seaweed	
8.	Transport mortality (in kgs)	
9.	Quarantine mortality (in kgs)	
10.	Types of seaweed culture method	

11.	Report on general aquatic health monitoring and any unusual mortality	
12.	Any changes observed in water quality parameters after introducing the imported live seaweed in the aquatic environment	
13.	Any pest or disease is observed	
14.	Is any invasiveness observed on the surrounding environment from imported live seaweed	
15.	Total number of seaweed seeds/spores/seedlings sold to the farmers	
16.	Details of the farmers to whom sold (shall include information on the name, address, and registration number) and a copy of the registration certificate for culturing seaweed issued by coastal aquaculture authority.	
Place:		Signature
Date:		Name of the authorised signatory

ANNEXURE-X

BASIC REQUIREMENTS OF QUARANTINE FACILITY*

1) The facility should be isolated from the aquaculture operations
2) Adequate quality and quantity of seawater
3) Proper system for handling and disposing of waste
4) Tank with appropriate size for holding seaweed material
5) Adequate filtration system to maintain water quality
6) Aeration system to ensure adequate oxygen levels
7) Instruments for measuring water quality parameters
8) Laboratory for conducting tests and analyses on seaweed specimens
9) Power supplies
10) Strict quarantine and hygiene protocol
11) Train staff in biosecurity practices and proper handling of seaweed
12) Pest control measures
13) Adequate biosecurity measures
14) Adequate Security measures should be in place to prevent unauthorized access
15) Any other relevant requirement that required to maintain quarantine facility

**The above list requirements are indicative*

******

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.10.23 14:31:25 +05'30'